न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(74)

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3228–तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.07.2014 पारित द्वारा तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी प्रकरण क्र. 196/2013–14/अ–12

जसवीर सिंह पुत्र ओंकार सिंह
निवासी ग्राम गडोली, तह0 नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र शिवराम
   निवासी ग्राम पनघटा तह0 नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी

अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक तथा अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. 196/2013–14/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार

नरवर के समक्ष भूमि खसरा नं. 222/2/1 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए। पटवारी से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15.07.2014 द्वारा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण समाप्त किया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में जो सीमांकन कार्यवाही है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सीमांकन किये जाने के संबंध में कोई सूचनापत्र आवेदक जो सरहदी काश्तकार है उसे तथा अन्य पड़ोसी काश्तकारों को दी गई है । अभिलेख में कोई सूचनापत्र नहीं है । सारी कार्यवाही अवैधानिक तरीके से एक स्थान पर बैठकर करली गई है जो संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत है ।

4/ अनावेदक कं. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कं. 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । प्रस्तुत खसरा आदि से यह स्पष्ट है कि आवेदक अनावेदक की भूमि से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी है परंतु अभिलेख में सरहदी काश्तकारों को सीमांकन किए जाने के संबंध में कोई सूचना दी गई थी, इस संबंध में कोई सूचनापत्र संलग्न नहीं है । प्रकरण में जो पंचनामा एवं प्रतिवेदन संलग्न है वह प्रिटेंड फॉर्म में है और उनकी पूर्ति करली गई है । इस प्रकार इस प्रकरण में जो सीमांकन कार्यवाही है वह संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ

प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत करें ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर